संख्या 809 /आठ–1–22–366/2021

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0,
लखनऊ।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।
6. सचिव,
रेरा,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 12 जुलाई, 2022

विषयः आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 के मध्य 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत झंडा फहराया जाय तथा झंडे का आकार 2X3 अनुपात 20"X30" एवं 10"X15" होगा।

(2) निजी भवनों हेतु तिरंगा पॉलिस्टर कपड़े का अनुमन्य होगा।

(3) पॉलिथिन का तिरंगा या तिरंगा का वितरण पॉलिथिन बैग में न किया जाय।

(4) 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार कर हर घर में तिरंगा लगाया जाए।

(5) 'तिरंगा स्वयं सेवक' कम से कम 05 घरों में झंडा रोहण का कार्यक्रम करें।

(6) तिरंगे के साथ सेल्फी लिया जाय तथा इसे harghartiranga.up.org पर अपलोड किया जाए।

(7) दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक सभी कार्यालयों को तिरंगे के रंग से सजाया जाए तथा लाईटिंग की समुचित व्यवस्था की जाए।

(8) विभागीय समीक्षा बैठक में इसके प्रगति की समीक्षा की जाए।

(9) नगरीय ताल–सरोवर की साफ–सफाई करायी जाए।

(10) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कुल 3.18 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य है, जिसमें 50 लाख शहरी क्षेत्रों हेतु है।

NSCO

Scanned with CamScanner

(11) सरकारी कार्यालयों में खादी के झंडे ही फहराये जाए।

(12) बहुमंजिली इमारतों में फ्लैग कोड के अनुसार बालकनी में झंडा फहराया जाए।

(13) प्रत्येक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा आवासों/कार्यालयों में झंडा फहराने का लक्ष्य तय कर दिनांक 13.07.2022 तक शासन/आवास बन्धु को उपलब्ध कराया जाए।

(14) सभी उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण/अपर आयुक्त, आवास विकास परिषद जिलाधिकारीगण से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनायें।

(15) सभी उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना तैयार करायें तथा सभी सम्बंधित अधिकारियों के साथ दिनांक 13.07.2022 तक कम से कम एक बैठक अवश्य आयोजित करायें।

(16) सभी सरकारी भवनों तथा शहीद स्मारकों पर एक सप्ताह तक लाईटिंग की व्यवस्था की जाए।

(17) दिनांक 15.08.2022 को सभी सरकारी कार्यालय पूरे दिन खुले रहेगें।

(18) सार्वजनिक उद्‌घोषणा प्रणाली को सक्रिय किया जाए, विशेषकर सभी पार्कों में।

(19) राष्ट्र धुन सहित प्रातःकाल प्रभात फेरी निकाली जाए।

2– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन एवं आवास बन्धु को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित है कि सभी सम्बंधितों से कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्राप्त कर समेकित सूचना शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner

संलग्नक–2

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
- इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।
- झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।
- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

संलग्नक–3

झण्डा फहराने के नियम

- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।
- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
- दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

Scanned with CamScanner